समस्त पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731-529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2021 / 1900 दिनांकः– 14 अगस्त 2021

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
श्री गुरू गोविन्द सिंह लॉ कॉलेज,
07, खण्डवा रोड, इन्दौर।

विषयः महाविद्यालय की सत्र 2021–22 से समस्त पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता समाप्त करने विषयक।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल के पत्र क्र. 1662 / 08 / सीएमएच / आउशि / संबद्धता / 21 भोपाल, दिनांक 13–08–2021 में उल्लेखित तथ्यों के तारतम्य में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 14 / 08 / 2021 में लिए गए निर्णयानुसार आपके महाविद्यालय द्वारा परिनियम क्र. 27 एवं 28 तथा अध्यादेश क्र. 7 एवं 8 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। मध्यप्रदेश शासन के पत्र के परिपालन में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 14 / 08 / 2021 में लिए गए निर्णयानुसार मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 15(4) का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 6(17), 6(19), 6(20) एवं 6(38) के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न बिन्दूओं के अध्याधीन आपके महाविद्यालय की, सत्र 2021–22 से, समस्त पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैः–

1. महाविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों में नियमानुसार प्रवेशित तथा विश्वविद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अतिशीघ्र अन्य महाविद्यालयों में रिक्त स्थानों पर स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जावेंगी।
2. महाविद्यालय समस्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों की सूची प्रस्तुत करें तथा अन्य महाविद्यालयों में स्थानांतरित होने पर उनके शुल्क आदि संबंधी समस्त समायोजन का दायित्व आपके महाविद्यालय / संस्था का होगा।
3. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में जमा की गई एंडोमेंट फण्ड (FDR) का भूगतान समस्त शर्तो की पूर्ति होने तक नहीं किया जावेंगा।
4. यदि महाविद्यालय पर सम्बद्धता शुल्क आदि किसी भी प्रकार की राशि की लेनदारी शेष हो तो उसकी वसूली तत्काल की जावेंगी।
5. महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों के प्रवेश को विनियमितिकरण करने के संबंध में बी.सी.आई. द्वारा आदेशित दाण्डिक शुल्क एवं अन्य व्यय की जिम्मेदारी महाविद्यालय / संस्था की होगी।
6. महाविद्यालय द्वारा सत्र 2021–22 में किसी भी पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधी कार्यवाही नहीं की जावें।

आदेशानुसार,
कुलसचिव

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2021 / 1900 दिनांकः– 14 अगस्त 2021

प्रतिलिपि :–

1. कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल के पत्र क्र. 1662 / 08 / सीएमएच / आउशि / संबद्धता / 21 भोपाल, दिनांक 13.08.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, राउज ऐव्हेन्यू, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग, इन्दौर संभाग, माती तबेला केम्पस, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. कुलपतिजी के सचिव, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
5. कुलसचिवजी के निज सहायक, दे.अ.वि.वि., इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
6. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, दे.अ.वि.वि., नालंदा परिसर, इन्दौर।
7. परीक्षा नियंत्रक, दे.अ.वि.वि., नालंदा परिसर, इन्दौर।
8. उपकुलसचिव परीक्षा / गोपनीय / प्रशासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण विभाग, दे.अ.वि.वि., नालंदा परिसर, इन्दौर।
10. अध्यक्ष / सचिव, श्री गुरू गोविंद सिंह शिक्षा एवं समाज सेवा संस्थान, इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
11. विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेन्टर, दे.अ.वि.वि., इन्दौर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रस्तुत।

सहा.कुलसचिव(शैक्ष.)

Scanned with CamScanner